

UPRP010034752026



**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं० 6, रामपुर।**

दाण्डिक प्रकीर्ण(जमानत) प्रार्थना पत्र सं०-25/2026

रजि०सं०-799/2026

15.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नन्हे वाला** की ओर से विशेष वाद सं०-160/2022, मुकदमा अपराध संख्या-62/2022, अन्तर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना-भोट, जिला रामपुर के मामले में जमानत हेतु **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूठा व फर्जी मुल्जिम बनाया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था। उपरोक्त वाद में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 06.09.2024 को गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किये गये हैं। अभियुक्त उक्त प्रकरण में गैरजमानतीय अधिपत्र के आधार पर दिनांक 28.10.2024 से जिला कारागार रामपुर में निरुद्ध है। प्रार्थी नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र जारी कर दिये गये। अभियुक्त एक निर्धन व्यक्ति है। मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अभियुक्त निशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, जो भी गलती हुई है, वह उक्त कारणवश हुई है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त के द्वारा जमानत की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय से अनुपस्थित होकर अपनी पूर्व जमानत का दुरुपयोग किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व से गुण-दोष के आधार पर जमानत पर था तथा अभियुक्त वॉरंट के आधार पर दिनांक 28.10.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्त की जेल में निरुद्ध अवधि को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **नन्हेवाला** की ओर से विशेष वाद संख्या -160/2022, मुकदमा अपराध संख्या -62/2022, अन्तर्गत धारा-8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना-भोट, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः

2-

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये-

- 1-प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- 2-प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- 3-प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
- 4-प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रदान की गयी जमानत का पुनः दुरुपयोग नहीं करेगा।

अभियुक्त के जमानत आदेश की एक प्रति ई मेल के माध्यम से अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर को प्रेषित की जाये। कार्यालय लिपिक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

दिनांक: 15-06-2026

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 6, रामपुर।
J.O.Code-UP2659